



प्रेस नोट

जनपद सीतापुर

अवैध तमंचे व 02 कारतूस के साथ अभियुक्त गिरफ्तार

जनपद सीतापुर में अपराध नियंत्रण एवम् अपराध को ही अपनी आय का स्रोत मान कर आपराधिक कृत्य करने वाले अपराधियों के विरुद्ध विधिक कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया है।

उक्त निर्देश के क्रम में चलाये जा रहे अवैध शस्त्र के विरुद्ध अभियान के तहत दिनांक 04.01.2021 को थाना महोली पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त साधू यादव पुत्र रमेश्वर यादव नि० कुंवरपुर लच्छा थाना महोली सीतापुर को एक अदद नाजायज तमंचा 12 बोर व दो अदद जिन्दा कारतूस के साथ ग्राम सील्हापुर से सीतारामपुर जाने वाले तिराहे के पास से गिरफ्तार किया गया। उक्त के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर क्रमशः मु०अ०सं० 09/2021 धारा 25(1-B) शस्त्र अधिनियम पंजीकृत किया गया है।

नाम/पता अभियुक्त – साधू यादव पुत्र रमेश्वर यादव नि० कुंवरपुर लच्छा थाना महोली सीतापुर

बरामदगी- एक अवैध तमंचा व दो कारतूस 12 बोर

पुलिस टीम- उप निरीक्षक श्री अरुण कुमार सिंह, हे०का० रामाश्रय यादव

आपराधिक इतिहास-

1. मु०अ०सं० 131/13 धारा 324/307 भादवि थाना महोली सीतापुर
2. मु०अ०सं० 53/16 धारा 396/412 भादवि थाना महोली सीतापुर
3. मु०अ०सं० 09/21 धारा 25(1-बी) आर्म्स एक्ट थाना महोली सीतापुर

थाना कौतवाली-महोली

जनपद- सीतापुर

